



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
									30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिचाई विभाग	श्री संजय कुमार अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	53	49	49	00	00	00


 05-9-2018
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलयी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलवीय पत्र	कुल विचाराधीन अपील्य पत्र	माह में निस्तारित अपील्य पत्र	अवशेष		योग	
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	सिंचाई विभाग	श्री डॉ०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि०, उ०प्र० लखनऊ	05	03	08	11	19	वर्तमान के पूर्व के आवशेष— 05 योग— 10	05	06	03	09

05-9-2018

अधीक्षक अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
05/9/18

क्र.सं.	विभाग	अनुसूचित अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध शिकायत पारित किया गया	आपका नाम और पता	आपका पता	आपका पता	आपका पता	आपका पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिवाही विभाग	श्री अनिल कुमार शीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता (सीन)	आपका संख्या: एस 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00			
	100	100000	100	100000			

कार्यालय के पते 709/120
 11 पत्रांक-1587/दिनांक 12-10-12 एच
 पत्रांक 1120/ /30सुप्र/दिनांक 7.6.11
 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य
 अभियंता (सीन)को पत्र लिखा गया है एम श्री
 अनिल कुमार शीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य
 अभियंता द्वारा अपने
 पत्रांक-15/एकेएनआरई/दिनांक 15.5.2013
 पत्रांक नि-1564/सीन/दिनांक 13.6.13
 के माध्यम से उक्त अधिरोपित अंशतः3 भाग
 किये जाने हेतु मा6 कार्य सूचना आयोज से
 अनुभव किया गया है। इस कार्यालय के
 पत्रांक-1318/प.सु.3/दिनांक 01.07.2013एच
 पत्रांक 1564/प.सु.3/आरिग/दिनांक 02.08.
 2013 पत्रांक 285/प.सु.3/दिनांक 03.20.14
 पत्रांक 1356/प.सु.3/दिनांक 20.02.14 एच
 पत्रांक 232/प.सु.3/दिनांक 10.03.15 के
 माध्यम से उक्त अधिरोपित अंशतः3 भाग
 1/19/2015 है।

आपका पता: ...
 आपका पता: ...
 आपका पता: ...

3	तटवै	अधिवासी अभियन्ता फलोहपुर खंड निचली गंगा नहर फलोहपुर	वाद संख्या- एस7/2706/ दिनांक 10.06.11	25000.00		<p>पत्रांक 1148/प्र.सु.प्र/दिनांक 03.2014 पत्रांक 241/प्र.सु.प्र/दिनांक 12.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p> <p>इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्र.सु.प्र/दि० 28.2.12,पत्रांक 1597/ प्र.सु.प्र/ दिनांक12.10.12,पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/प्र.सु.प्र/दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्र.सु.प्र/दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/प्र.सु.प्र/दिनांक 10.6.13,पत्रांक 1319/प्र.सु.प्र/दिनांक 01.07.2013,पत्रांक 1565/प्र.सु.प्र/दिनांक 07.08.2013,पत्रांक 1784/ प्र.सु.प्र/ दिनांक 18 सितम्बर 2013, पत्रांक 308/प्र.सु.प्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/प्र.सु.प्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/प्र.सु.प्र/दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p>
4	तटवै	अधिवासी अभियन्ता फलोहपुर खंड निचली गंगा नहर फलोहपुर	वाद संख्या- एस 7-1651/ /सी/08 दिनांक 03-10-12	25000.00		<p>इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्र.सु.प्र/दि० 28.2.12,पत्रांक 1607/ प्र.सु.प्र/ दिनांक12.10.12,पत्रांक 352/दि० 15.2.13, पत्रांक440/प्र.सु.प्र/दिनांक 27.2.13एवं पत्रांक709/प्र.सु.प्र/ दिनांक3.4.13, पत्रांक 1137/प्र.सु.प्र/दिनांक 10.6.13, पत्रांक-1319/प्र.सु.प्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रांक 1565/प्र.सु.प्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/प्र.सु.प्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/प्र.सु.प्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/प्र.सु.प्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।</p>
5	तटवै	अधिवासी अभियन्ता सिन्धुवाडी खण्ड-क पुनर्वासी सुन्दरगढ़	वाद संख्या- एस 3-214 /सी/10 दिनांक 19.06.12	25000.00		<p>अधिवासी अभियन्ता द्वारा आवे. पत्रांक 87/प्र.सु.प्र/दिनांक 03.11.11 के माध्यम से वांछित कार्यवाही प्राप्त है कि उक्त आवे. की प्रतीति हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से एस 3आवक से प्रतीति की गयी है एवढसे अभियन्ता को पत्रांक 820/प्र.सु.प्र/दिनांक 28.4.12,पत्रांक 1122/ प्र.सु.प्र/दिनांक 7.6.12, पत्रांक 1111/प्र.सु.प्र/दिनांक09.07.2013, पत्रांक 1100/प्र.सु.प्र/दिनांक 07.08.2013</p>

6	राजैय	श्री दीपिका मिश्र अधिकाारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	पाद संख्या- एस 4 68/ / सी / 11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा गण्ड स्थापित।	मा0, आदेश, दिनांक 29.07.2013, पत्रांक 145/प्रसुप्र/दिनांक 01.02.14, पत्रांक 1586/प्रसुप्र/दिनांक 29.10.14 एवं पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिशेषित दण्ड की अंशदान स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अधिकाारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोडस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.9.12 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12 पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13 पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिशेषित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अभियन्ता, (गण्डक) सिंचाई मारखपुर द्वारा पत्रांक 3316/मू0अ0गो0/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	राजैय	श्री आर पी गौतम अधिकाारी अभियन्ता सिंचाई खंड हाथरस	पाद संख्या- एस 10 -2017 / सी / 11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय डाप रा0-2547 /सिकामम/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिशेषित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिकाारी अभियन्ता के पता से कर ली गयी है एवं उक्त धनराशि को राजकोश में जमा कराकर नसीद की छायाप्रति वासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1586/प्रसुप्र/दिनांक 02.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।
8	राजैय	श्री राजाराम अधिकाारी अभियन्ता सिंचाई खंड हाथरस	पाद संख्या- एस 4 20/ सी / 11 दिनांक 17.06.12	25000.00		अधिकाारी अभियन्ता कोडस कार्यालय के पत्रांक 1121 /प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1586/प्रसुप्र/दिनांक 02.08.2013 पत्रांक 1151/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.13 एवं पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1586/प्रसुप्र/दिनांक 02.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।

कॉटेज	श्री मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण अभियान (निलम्बित) शब्द मुख्य अभियान विशेष	जाने का दिनांक (दिनांक / महीना / वर्ष)	स्थान			<p>कॉटेज में सुविधा-संयोजित रूप में शिक्षण के सुपरीक्षण कार्यक्रम का दिनांक परीक्षण की आवृत्ति सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यक्रम के परीक्षण/प्रदर्शन दिनांक समय के संबंध में अपने ज्ञान/प्रदर्शन में दोष कम लिखी गया है।</p>
-------	---	---	-------	--	--	--

25-9-2018

प्रशिक्षण अभियान एन
जन सूचना अधिकारी
25/9/18